

﴿ آياتها ﴾ ﴿ ١ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ ٥ ﴾ ﴿ مَرَكُوعًا ١ ﴾

सूरए फ़ातिहा मक्किय्या है, इस में सात आयतें और एक रकूअ है

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢ مُلِكِ يَوْمِ

सब खूबियां अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का बहुत मेहरबान रहमत वाला रोजे जज़ा

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ

सूरए फ़ातिहा के अस्मा : इस सूरह के मुतअहद नाम हैं : फ़ातिहा, फ़ातिहतुल किताब, उम्मुल कुरआन, सूरतुल कन्ज़, काफ़िया, वाफ़िया, शाफ़िया, शिफ़ा, सब्ब मसानी, नूर, रुक़्या, सूरतुल हम्द, सूरतुदुआ, ता'लीमुल मस्अला, सूरतुल मुनाजात, सूरतुतफ़वीज़, सूरतुस्सुआल, उम्मुल किताब, फ़ातिहतुल कुरआन, सूरतुस्सलाह। इस सूरह में सात आयतें, सत्ताईस कलिमें, एक सो चालीस हर्फ़ हैं, कोई आयत नासिख़ या मन्सूख़ नहीं। शाने नुज़ूल : यह सूरह मक्कए मुकर्रमा या मदीनए मुनव्वरह, या दोनों में नाज़िल हुई। अम्र बिन शुरहबील से मन्कूल है कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने हज़रते ख़दीजा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से फ़रमाया : “मैं एक निदा सुना करता हूँ जिस में “إِفْرَأْ” कहा जाता है।” वरक़ा बिन नौफल को ख़बर दी गई, अर्ज़ किया : जब येह निदा आए आप ब इत्मीनान सुनें। इस के बा'द हज़रते जिब्रील ने हाज़िरे ख़िदमत हो कर अर्ज़ किया : फ़रमाइये “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”। इस से मा'लूम होता है कि नुज़ूल में येह पहली सूत है मगर दूसरी रिवायात से मा'लूम होता है कि पहले “सूरए इक़रअ” नाज़िल हुई। इस सूत में ता'लीमन बन्दों की ज़बान में कलाम फ़रमाया गया है। अहक़ाम :- मस्अला : नमाज़ में इस सूत का पढ़ना वाजिब है इमाम व मुन्फ़रिद के लिये तो हक़ीकतन अपनी ज़बान से और मुक्तदी के लिये ब क़िराअते हुक्मिया या'नी इमाम की ज़बान से। सहीह हदीस में है : “قِرَاءَةُ الْإِيمَانِ لَهُ قِرَاءَةٌ” इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। कुरआने पाक में मुक्तदी को ख़ामोश रहने और इमाम की क़िराअत सुनने का हुक्म दिया है : “إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا” (जब कुरआन पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर सुनो और ख़ामोश हो जाओ)। मुस्लिम शरीफ़ की हदीस है : “إِذَا قُرِئَ فَانصتوا” जब इमाम क़िराअत करे तुम ख़ामोश रहो। और बहुत अहादीस में येही मज़मून है। मस्अला : नमाज़े जनाज़ा में दुआ याद न हो तो सूरए फ़ातिहा ब निय्यते दुआ पढ़ना जाइज़ है, ब निय्यते क़िराअत जाइज़ नहीं। (عالمگیری) सूरए फ़ातिहा के फ़ज़ाइल : अहादीस में इस सूरह की बहुत सी फ़ज़ीलतें वारिद हैं, हुज़ूर ने फ़रमाया : तौरैत व इन्जील व ज़बूर में इस की मिसल सूत न नाज़िल हुई। (ترمذی) एक फ़िरिश्ते ने आस्मान से नाज़िल हो कर हुज़ूर पर सलाम अर्ज़ किया और दो ऐसे नूरों की बिशारत दी जो हुज़ूर से पहले किसी नबी को अता न हुए : एक सूरए फ़ातिहा, दूसरे सूरए बक़र की आख़िरी आयतें। (सूए) “सूरए फ़ातिहा” हर मरज़ के लिये शिफ़ा है। (दारी) “सूरए फ़ातिहा” सो मरतबा पढ़ कर जो दुआ मांगे अल्लाह तआला कबूल फ़रमाता है। (दारी) इस्तिआज़ा :- मस्अला : तिलावत से पहले “أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ” पढ़ना सुन्नत है। (नारन) लेकिन शागिर्द उस्ताद से पढ़ता हो तो उस के लिये सुन्नत नहीं। (عائذی) मस्अला : नमाज़ में इमाम व मुन्फ़रिद के लिये “सुब्हान” (सना) से फ़ारिग़ हो कर आहिस्ता “أَعُوذُ...النع” पढ़ना सुन्नत है। (शाय) तस्मिया :- मस्अला : “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” कुरआने पाक की आयत है मगर सूरए फ़ातिहा या और किसी सूह का जुज़ नहीं इसी लिये नमाज़ में जहर (बुलन्द आवाज़) के साथ न पढ़ी जाए, बुख़ारी व मुस्लिम में मरवी है कि हुज़ुरे अक्दस صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ और हज़रते सिद्दीक व फ़ारूक رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا नमाज़ “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” से शुरू फ़रमाते थे। मस्अला : तरावीह में जो ख़तम किया जाता है उस में कहीं एक मरतबा “بِسْمِ اللَّهِ” जहर के साथ ज़रूर पढ़ी जाए ताकि एक आयत बाक़ी न रह जाए। मस्अला : कुरआने पाक की हर सूत “بِسْمِ اللَّهِ” से शुरू की जाए सिवाए सूरए बराअत के। मस्अला : सूरए नम्ल में आयते सज्दा के बा'द जो “بِسْمِ اللَّهِ” आई है वोह मुस्तक़िल आयत नहीं बल्कि जुज़्जे आयत है बिला ख़िलाफ़ इस आयत के साथ ज़रूर पढ़ी जाएगी ! नमाज़े जहरी में जहरन, सिरि में सिरिन। मस्अला : हर मुबाह़ काम “بِسْمِ اللَّهِ” से शुरू करना मुस्तहब है, ना जाइज़ काम पर “بِسْمِ اللَّهِ” पढ़ना मन्मूअ है। सूरए फ़ातिहा के मज़ामीन : इस सूत में अल्लाह तआला की हन्दो सना, रबूबिय्यत, रहमत, मालिकिय्यत, इस्तिहक़ाके इबादत, तोफ़ीके ख़ैर, बन्दों की हिदायत, तवज्जोह इलल्लाह, इख़्तिसासे इबादत, इस्तिआनत, तलबे रुद, आदाबे दुआ, सालिहीन के हाल से मुवाफ़क़त, गुमराहों से इज्तिनाब व नफ़रत, दुन्या की जिन्दगानी का ख़ातिमा, जज़ा और रोजे जज़ा का मुसरह व मुफ़स्सल बयान है और जुम्ला मसाइल का इज्मालन। हम्द :- मस्अला : हर काम की

الْمَثَلُ الْأَوَّلُ (1)

الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

का मालिक हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें हम को सीधा

الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

रास्ता चला रास्ता उन का जिन पर तूने एहसान किया न उन का जिन पर ग़ज़ब

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

हुवा और न बहेके हुआ का

इब्तिदा में तस्मिया की तरह हम्दे इलाही बजा लाना चाहिये। **मस्अला** : कभी हम्द वाजिब होती है जैसे ख़ुल्बए जुमुआ में, कभी मुस्तहब जैसे ख़ुल्बए निकाह व दुआ व हर अम्रे जीशान में और हर खाने पीने के बा'द, कभी सुन्नत मुअक्कदा जैसे छोंक आने के बा'द। (مطوّب) "رَبِّ الْعَالَمِينَ" में तमाम काएनात के हादिस, मुम्किन, मोहताज होने और **अल्लाह** तआला के वाजिब, कदीम, अज़ली, अबदी, हय्य, कयूम, कादिर, अलीम होने की तरफ़ इशारा है जिन को "رَبِّ الْعَالَمِينَ" मुस्तल्जिम है, दो लफ़्ज़ों में इल्मे इलाहिय्यात के अहम मबाहिस तै हो गए। "مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ" मिल्क के जुहरे ताम का बयान और यह दलील है कि **अल्लाह** के सिवा कोई मुस्तहक्के इबादत नहीं क्यूं कि सब उस के मम्लूक हैं और मम्लूक मुस्तहक्के इबादत नहीं हो सकता। इसी से मा'लूम हुवा कि दुन्या दारुल अमल है और इस के लिये एक आखिर है, जहान के सिल्सिले को अज़ली व कदीम कहना बातिल है। इख़ितामे दुन्या के बा'द एक जज़ा का दिन है, इस से तनासुख़ बातिल हो गया। "اِيَّاكَ نَعْبُدُ" जिन्के जातो सिफ़ात के बा'द यह फ़रमाना इशारा करता है कि ए'तिकाद अमल पर मुक़दम है और इबादत की मक्बूलिय्यत अकीदे की सिहह़त पर मौकूफ़ है। **मस्अला** : "نَعْبُدُ" के सीगए जम्अ से अदा ब जमाअत भी मुस्तफ़ाद होती है और यह भी कि अ़वाम की इबादतें महबूबों और मक्बूलों की इबादतों के साथ दरजए क़बूल पाती हैं। **मस्अला** : इस में रदे शिर्क भी है कि **अल्लाह** तआला के सिवा इबादत किसी के लिये नहीं हो सकती। "وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" में यह ता'लीम फ़रमाई कि इस्तिआनत ख़्वाह ब वासिता हो या बे वासिता हर तरह **अल्लाह** तआला के साथ ख़ास है हकीकी मुस्तआन (मददगार) वोही है, बाकी आलात व खुद्दम व अहबाब वगैरा सब औने इलाही के मज़हूर हैं, बन्दे को चाहिये कि इस पर नज़र रखे और हर चीज़ में दस्ते कुदरत को कारकुन देखे। इस से यह समझना कि औलिया व अम्बिया से मदद चाहना शिर्क है अ़कीदए बातिला है क्यूं कि मुक़रबाने हक़ की इमदाद, इमदादे इलाही है इस्तिआनत बिलगैर नहीं। अगर इस आयत के वोह मा'ना होते जो वहाबिया ने समझे तो कुरआने पाक में "اعْتَصِمُوا بِقُوَّةٍ" (मेरी मदद ताक़त से करो) और "اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ" (सब्र और नमाज़ से मदद चाहो) क्यूं वारिद होता, और अहादीस में अहलुल्लाह से इस्तिआनत की ता'लीम क्यूं दी जाती। "اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" मा'रिफ़ते जातो सिफ़ात के बा'द इबादत, इस के बा'द दुआ ता'लीम फ़रमाई, इस से यह मस्अला मा'लूम हुवा कि बन्दे को इबादत के बा'द मशगूले दुआ होना चाहिये, हदीस शरीफ़ में भी नमाज़ के बा'द दुआ की ता'लीम फ़रमाई गई है। (طبرانی في الكبير والاصغر في السنن) "سِرَاتِةَ مُسْتَقِيمٍ" से मुराद इस्लाम या कुरआन, या खुल्के नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ या हुज़ूर, या हुज़ूर के आल व अस्हाब हैं। इस से साबित होता है कि सिराते मुस्तकीम तरीके अहले सुन्नत है जो अहले बैत व अस्हाब और सुन्नत व कुरआन व सवादे आ'जम सब को मानते हैं। "صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" जुम्लए ऊला की तफ़्सीर है कि सिराते मुस्तकीम से तरीके मुस्लिमीन मुराद है। इस से बहुत से मसाइल हल होते हैं कि जिन उमूर पर बुजुगाने दीन का अमल रहा हो वोह सिराते मुस्तकीम में दाख़िल है। "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" इस में हिदायत है कि **मस्अला** : तालिबे हक़ को दुश्मनाने खुदा से इज्तिनाब और उन के राहो रस्म वज़्अ व अतवार से परहेज़ लाज़िम है। तिरमिज़ी की रिवायत है कि **مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ** से यहूद, और **ضَالِّينَ** से नसारा मुराद हैं। **मस्अला** : "ضَاد" और "ظَاء" में मुबाइनते जाती है बा'ज़ सिफ़ात का इशितराक़ इन्हें मुत्तहिद नहीं कर सकता लिहाज़ा **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ** "ظ" पढ़ना अगर ब क़स्द हो तो तहरीफ़े कुरआन व कुफ़्र हैं, वरना ना जाइज़। **मस्अला** : जो शख़्स "ضَاد" की जगह "ظ" पढ़े उस की इमामत जाइज़ नहीं। (مطوّب) "اٰمِيْنَ" इस के मा'ना हैं : ऐसा ही कर, या क़बूल फ़रमा। **मस्अला** : यह कलिमए कुरआन नहीं। **मस्अला** : सूरए फ़ातिहा के ख़त्म पर "आमीन कहना" सुन्नत है नमाज़ के अन्दर भी और नमाज़ के बाहर भी। **मस्अला** : हज़रत इमामे आ'जम का मज़हब यह है कि नमाज़ में "आमीन" इख़फ़ा के साथ या'नी आहिस्ता कही जाए। तमाम अहादीस पर नज़र और तन्कीद से येही नतीजा निकलता है कि जहर की रिवायतों में सिफ़ वाइल की रिवायत सहीह है उस में "مَدْبُهًا" का लफ़ज़ है जिस की दलालत जहर पर क़ड़ई नहीं, जैसा जहर का एहतिमाल है वैसा ही बल्कि इस से क़वी मदे हम्ज़ह का एहतिमाल है, इस लिये यह रिवायत जहर के लिये हुज्जत नहीं हो सकती। दूसरी रिवायतें जिन में जहर व रफ़अ के अल्फ़ाज़ हैं उन को इस्नाद में कलाम है, इलावा बरी वोह रिवायत बिलमा'ना हैं और फ़हमे रावी, हदीस नहीं लिहाज़ा "आमीन" का आहिस्ता ही पढ़ना सहीह तर है।